

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2014/पौष 27, 1935

No. 129]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2014/PAUSHA 27, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2014

का. आ. 134 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 के 70.700 कि. मी. से 179.285 कि. मी. तक के भूखण्ड (यमुनानगर-पंचकुला सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् भूमि अर्जन अधिकारी, पंचकूला को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 के 70.700 कि. मी. से 179.285 कि. मी. तक (यमुनानगर-पंचकुला अनुभाग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम और एच. बी. संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (कनाल-मरला) तथा (बीघे-बिसवे में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	यमुनानगर	(1) जगाधरी	(1) कलानौर एच.बी. नं. 136	163	निजी	कृषि	1-1
							1 क - 1 म
			(2) मंडोवली एच.बी. नं. 138	41//12/1	निजी	कृषि	0-10
				16	निजी	कृषि	1-0
				42//7	निजी	कृषि	0-3
				8	निजी	कृषि	0-10
				9	निजी	कृषि	1-5
				14	निजी	कृषि	1-2
				15	निजी	कृषि	0-12
							5 क - 2 म
			(3) तिगरी एच.बी. नं. 143	17//7	निजी	कृषि	0-4
				15	निजी	कृषि	0-11
							0 क - 15 म
			(4) करेडा खुर्द एच.बी. नं. 148	32//9	निजी	कृषि	0-12
							0 क - 12 म
			(5) पौजपुर एच.बी. नं. 153	23//2/1	निजी	कृषि	1-4
				3	निजी	कृषि	0-1
				24//6/1	निजी	कृषि	3-02
				6/2	निजी	कृषि	0-9
				25//12/1	निजी	कृषि	2-5
				12/2	निजी	कृषि	1-1
				13/1	निजी	कृषि	1-4
				13/2/1	निजी	कृषि	0-6
				13/2/2	निजी	कृषि	1-13
				26//27/2	निजी	कृषि	0-16
				51	पंचायत	गैर मुमकिन रास्ता	0-13
							12 क - 14 म
			(6) खंडवा एच.बी. नं. 157	5//26	निजी	पीर बाबा	0-14
							0 क - 14 म
			(7) सुखपुरा एच.बी. नं. 156	4//18	निजी	कृषि	0-10
							0 क - 10 म
			(8) ओरंगाबाद एच.बी. नं. 475	18//4/1/1	निजी	कृषि	0-10
				4/2	निजी	कृषि	1-13

				15/2/2	निजी	कृषि	0-6
				17/1/1	निजी	कृषि	0-2
				38//9	निजी	कृषि	0-7
				40//1	निजी	कृषि	0-10
				55	निजी	कृषि	0-13
							4 क - 1 म
			(9) रोड छप्पर एच.बी. नं. 476	13//10	निजी	कृषि	2-9
				20/2	निजी	कृषि	0--7
				23	निजी	कृषि	0-1
				16//18	पंचायत	गैर मुमकिन रास्ता	1-1
				20//10	निजी	कृषि	1-4
				21//4	निजी	कृषि	0-2
				25//3	निजी	कृषि	0--4
				50	पंचायत	गैर मुमकिन रास्ता	0--2
							5 क - 10 म
			(10) हरगढ एच.बी. नं. 478	11//24	निजी	चाही	0-11
				25/2	निजी	चाही	1--3
				14//5	निजी	चाही	2--13
				6	निजी	चाही	3--1
				15	निजी	चाही	0--19
				29	निजी	चाही	0-8
							8 क - 15 म
			(11) भूतमाजरा एच.बी. नं. 473	50	निजी	कृषि	0-16
				110/2	निजी	कृषि	0-1
				130	निजी	कृषि	0--4
							1 बि - 1 बि
			(12) मडेबरी एच.बी. नं. 428	5//1	निजी	कृषि	0-6
				30//7	निजी	कृषि	0-7
							0 क - 13 म
			(13) गोलनपुर एच.बी. नं. 466	224	निजी	कृषि	0-19
							0 बि - 19 बि
			(14) सुढल एच.बी. नं. 426	4//23/1	निजी	चाही	0-14
				8//13	पंचायत	गैर मुमकिन रास्ता	0-4
				36	निजी	चाही	0-12
				43	निजी	चाही	0-19
							2 क - 9 म
			(15) सुढल एच.बी. नं. 425	13	निजी	कृषि	0-4
				14	निजी	कृषि	0-3
				73	निजी	कृषि	0-3
				75	निजी	कृषि	0-7
				948	निजी	कृषि	0-4

							1 बि - 1 बि
			(16) रूलाखेड़ी एच.बी. नं. 424	2//18	निजी	कृषि	1-4
				19/2	निजी	कृषि	0-1
				22	निजी	कृषि	0-2
				23	निजी	कृषि	0-7
				17//16	निजी	कृषि	0-4
							1 क - 18 म
			(17) कैल एच.बी. नं. 378	22//12	निजी	कृषि	6-7
				13	निजी	कृषि	0-5
				18	निजी	कृषि	0-2
				23	निजी	कृषि	0-12
				52//12	निजी	कृषि	0-5
				13	निजी	कृषि	2-15
							10 क - 6 म
			(18) भम्मौली एच.बी. नं. 435	31//2	निजी	कृषि	0-10
				10//26	निजी	कृषि	1-3
							1 क - 13 म
			(19) कान्हडी खुर्द एच. बी. नं. 436	40	निजी	कृषि	0-3
				41	निजी	कृषि	0-5
							0 बि - 8 बि
			(20) गधौला एच.बी. नं. 359	43//2/1/2	निजी	कृषि	0-5
				17/2	निजी	कृषि	0-2
							0 क - 7 म
			(21) छपपर मंसुरपुर एच. बी. नं. 443	4//1/2	निजी	कृषि	0-2
				14//22	निजी	कृषि	1-16
							1 क - 18 म
			(22) समलपुर एच.बी. नं. 358	35//12/2/1	निजी	कृषि	0-2
				31	निजी	कृषि	1-2
				40//10	निजी	कृषि	0-15
				41//9	निजी	कृषि	0-12
				12	निजी	कृषि	0-10
				13	निजी	कृषि	0-16
				14	निजी	कृषि	0-10
				17	निजी	कृषि	0-18
							5 क - 5 म

[फा. सं. भाराप्र/11013/01/2013-एल.ए./हर य प/सी.एच.डी.]

माया प्रकाश, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2014

S.O. 134(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highways No. 73, in the stretch of land from Km 70.700 to Km 179.285 (Yamunanagar-Panchkula Section) in the district of Yamunanagar in the State of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, objection to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3 C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Land Acquisition Officer, Panchkula, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 70.700 to Km. 179.285 of the National Highway No. 73 (Yamunanagar-Panchkula Section), in the State of Haryana.

Sr. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village with H. B. No.	Khasra number	Type of land	Nature of land	Area in Kanal-Marla (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Yamunanagar	(1) Jagadhari	(1) Kalanaur H. B. No. 136	163	Private	Agricultural	1-1
							1 K-1 M
			(2) Mandoli H. B. No. 138	41//12/1	Private	Agricultural	0-10
				16	Private	Agricultural	1-0
				42//7	Private	Agricultural	0-3
				8	Private	Agricultural	0-10
				9	Private	Agricultural	1-5
				14	Private	Agricultural	1-2
				15	Private	Agricultural	0-12
							5 K-2 M
			(3) Tigri H. B. No. 143	17//7	Private	Agricultural	0-4
				15	Private	Agricultural	0-11
							0 K-15 M
			(4) Kareda khurad H.B. No. 148	32//9	Private	Agricultural	0-12
							0 K-12 M

			(5) Panjpur H.B. No. 153	23//2/1	Private	Agricultural	1-4
				3	Private	Agricultural	0-1
				24//6/1	Private	Agricultural	3-02
				6/2	Private	Agricultural	0-9
				25//12/1	Private	Agricultural	2-5
				12/2	Private	Agricultural	1-1
				13/1	Private	Agricultural	1-4
				13/2/1	Private	Agricultural	0-6
				13/2/2	Private	Agricultural	1-13
				26//27/2	Private	Agricultural	0-16
				51	Panchayat	Gair mumkin rasta	0-13
							12 K-14 M
			(6) Khandwa H.B. No. 157	5//26	Private	Peer Baba	0-14
							0 K-14 M
			(7) Sukhpura H.B. No. 156	4//18	Private	Agricultural	0-10
							0 K -10 M
			(8) Aurangabad H.B. No. 475	18//4/1/ 1	Private	Agricultural	0-10
				4/2	Private	Agricultural	1-13
				15/2/2	Private	Agricultural	0-6
				17/1/1	Private	Agricultural	0-2
				38//9	Private	Agricultural	0-7
				40//1	Private	Agricultural	0-10
				55	Private	Agricultural	0-13
							4 K -1 M
			(9) Road Chappar H.B. No. 476	13//10	Private	Agricultural	2-9
				20/2	Private	Agricultural	0--7
				23	Private	Agricultural	0-1
				16//18	Panchayat	Gair mumkin rasta	1-1
				20//10	Private	Agricultural	1-4
				21//4	Private	Agricultural	0-2
				25//3	Private	Agricultural	0--4
				50	Panchayat	Gair mumkin Rasta	0--2
							5 K - 10 M
			(10) Hargarh H.B. No. 478	11//24	Private	Chahi	0-11
				25/2	Private	Chahi	1--3

				14/5	Private	Chahi	2--13
				6	Private	Chahi	3--1
				15	Private	Chahi	0--19
				29	Private	Chahi	0-8
							8 K-15 M
			(11) Bhootmajra H.B. No. 473	50	Private	Agricultural	0-16
				110/2	Private	Agricultural	0-1
				130	Private	Agricultural	0--4
							1 B-1 B
			(12) Mandabri H.B. No. 428	5//1	Private	Agricultural	0-6
				30//7	Private	Agricultural	0-7
							0 K-13 M
			(13) Golanpur H.B. No. 466	224	Private	Agricultural	0-19
							0 B-19 B
			(14) Sudhal H.B. No. 426	4//23/1	Private	chahi	0-14
				8//13	Panchayat	Gair mumkin Rasta	0-4
				36	Private	chahi	0-12
				43	Private	chahi	0-19
							2 K -9 M
			(15) Sudhail H.B. No. 425	13	Private	Agricultural	0-4
				14	Private	Agricultural	0-3
				73	Private	Agricultural	0-3
				75	Private	Agricultural	0-7
				948	Private	Agricultural	0-4
							1B - 1 B
			(16) Rula kheri H.B. No. 424	2//18	Private	Agricultural	1-4
				19/2	Private	Agricultural	0-1
				22	Private	Agricultural	0-2
				23	Private	Agricultural	0-7
				17//16	Private	Agricultural	0-4
							1 K -18 M
			(17) Kail H.B. No. 378	22//12	Private	Agricultural	6-7
				13	Private	Agricultural	0-5
				18	Private	Agricultural	0-2
				23	Private	Agricultural	0-12
				52//12	Private	Agricultural	0-5
				13	Private	Agricultural	2-15
							10 K -6 M

			(18) Bhamboli H.B. No. 435	31//2	Private	Agricultural	0-10
				10//26	Private	Agricultural	1-3
							1 K -13 M
			(19) Kanehri khurad H.B. No. 436	40	Private	Agricultural	0-3
				41	Private	Agricultural	0-5
							0 B - 8 B
			(20) Gadholi H.B. No. 359	43//2/1/ 2	Private	Agricultural	0-5
				17/2	Private	Agricultural	0-2
							0 K -7 M
			(21) Chappar Mansurpur H.B. No. 443	4//1/2	Private	Agricultural	0-2
				14//22	Private	Agricultural	1-16
							1 K - 18M
			(22) Sabbal Pur H.B. No. 358	35//12/2 /1	Private	Agricultural	0-2
				31	Private	Agricultural	1-2
				40//10	Private	Agricultural	0-15
				41//9	Private	Agricultural	0-12
				12	Private	Agricultural	0-10
				13	Private	Agricultural	0-16
				14	Private	Agricultural	0-10
				17	Private	Agricultural	0-18
							5 K - 5 M

[F. No. NHAI/11013/01/2013-LA/HR-YP/CHD]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.